मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना :

यह एक नई योजना है एवं इसका प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2018–19 से किया गया है। वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में आवासित हो कर अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/– (रूपये एक हजार) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने का प्रावधान है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

बिहार सरकार

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में आवासित पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग समुदाय के छात्र-छात्राओं को अनुदान दिया जाता है।

अनुदान की राशि- 1000/- रूपये प्रति छात्र-छात्रा प्रतिमाह

बिहार सरकार की योजनाएं

छात्रावास में नामांकन हेतु संपर्क करें -

संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी एवं छात्रावास अधीक्षक

वेबसाइट : https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome.html

1 मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजनाः-

यह एक नई योजना है एवं इसका प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2018-19 से किया गया है। वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में आवासित हो कर अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को कॉट, मैटेªस, चादर, पठन-पाठन हेतु टेबुल, कुर्सी, खाना बनाने हेतु बरÿान एवं रसोईया इत्यादि की सुविधा दी जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च षिक्षा के प्रति जागरूक एवं उच्च षिक्षा दर में वरद्धि करने के उद्देष्य एवं छात्रावास संबंधी आवष्यकताओं की पूर्ति के लिए छात्र/छात्राओं को छात्रावास अनुदान की आवष्यकता को देखते हुए यह योजना प्रारंभ की गई है।

इस योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/- (रूपये एक हजार) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने का प्रावधान है।योजनान्तर्गत लगभग तीन हजार छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष में 2022-23 में ₹660.00 लाख की राषि का प्रावधान किया गया है।